न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान .... कमला बाई .... बनाम .... धन्नी बाई ....

किस्म मुकदमा .... धारा-223 .... अकील संख्या .... 2023/118 ....

अभिभाषक अपीलान्ट .... लालचंद पारीक .... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
17.1.25	पत्रावली पेश हुई/आज कोई केस [illegible] से पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते बहस दिनांक 24.1.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	24.1.25
24-01-25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट द्वारा कोर्ट कैम्प झालावाड़ में उपस्थित होकर पत्रावली को नोट प्रेस किये जाने हेतु निवेदन किया इस बाबत अभिभाषक अपीलांट द्वारा आदेशिका पर NOT PRESS का अंकन करते हुये अपने हस्ताक्षर मय दिनांक किये। अभिभाषक अपीलांट द्वारा पत्रावली NOT PRESS किये जाने हेतु निवेदन को स्वीकार करते हुये पत्रावली को नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	Not press (हस्ताक्षर) 24/1/25 (लालचंद पारीक एड.) (मुहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★)

एक रुपया ONE RUPEE

न्यायालय - भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बारां-झालावाड़

केम्प झालावाड़

अपील संख्या :   /2023

1. कमला बाई बेवा सीताराम जाति यादव निवासी रूपारेल, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
2. नन्दसिंह पुत्र स्व. सीताराम जाति यादव निवासी रूपारेल, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
3. बनवारी पुत्र स्व. सीताराम जाति यादव निवासी रूपारेल, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
4. महेश पुत्र स्व. सीताराम जाति यादव निवासी रूपारेल, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
5. रेखा पुत्री स्वं. सीताराम जाति यादव निवासी रूपारेल, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
6. राजू पुत्र स्व. सीताराम जाति यादव निवासी रूपारेल, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
7. राजकुमारी पुत्री स्व. सीताराम जाति यादव निवासी रूपारेल, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)
8. संजू पुत्र स्व. सीताराम जाति यादव निवासी रूपारेल, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.)

.... **अपीलान्ट/प्रतिवादीगण संख्या 1–8**

9. पूजाबाई पत्नि संजू जाति जाटव निवासी रूपारेल, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.) .... **अपीलान्ट/प्रतिवादीगण संख्या 10**

बनाम

1. चमेली बाई पत्नि दिनेश कुमार जाति जाटव निवासी सुभाष विस्तार कॉलोनी, झालावाड़ तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज.)

.... **रेस्पोन्डेन्ट/वादी/डिक्रीदार**

2. कालूलाल पुत्र रामा जाति मेघवाल निवासी ग्राम चन्दलोई, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ .... **रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 9**
3. रामप्रसाद पुत्र टीपू जाति यादव निवासी रूपारेल, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.), ... **रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 11**

लगातार 2 पर

4. विमलाबाई बेवा शंकर जाति यादव निवासी ग्राम रूपारेल, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ (राज.) .... रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 12

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार असनावर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 13

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 बनाराजगी निर्णय
अन्तिम डिक्री दिनांक 17.10.2022 जो कि संशोधित होकर
दिनांक 16.01.2023 को पुनः जारी की गई है।
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर जिला झालावाड़
प्रकरण बउनवान चमेली बाई वगै. बनाम कमला बाई वगै.
वाद संख्या D-48/2021
अन्तर्गत धारा 91, 53 राज. टीनेन्सी एक्ट

मान्यवर,

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 चमेली बाई ने एक राजस्व वाद संख्या 48/2021 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी असनावर के समक्ष इस आशय का पेश किया ग्राम रूपारेल पटवार हल्का रूपारेल तहसील असनावर जिला झालावाड़ में खाता संख्या नया 113 पुराना 101 की खसरा नं. 12, 13, 21, 220/478, 234, 238 की आराजी स्थित है। इस आराजी में वादिया चमेली बाई का 1/8 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। वादिया ने अपने 1/8 हिस्से के मुताबिक आराजी का विभाजन करने का अनुतोष दिये जाने की मांग न्यायालय से की। अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण के द्वारा विधि अनुसार बंटवारा किये जाने बाबत् इकबाली जवाब पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी असनावर ने दिनांक 13.06.2022 को वादिया चमेली बाई का वाद डिक्री करते हुए प्रारंभिक डिक्री जारी की गई और बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार असनावर से तलब किया गया। तहसीलदार असनावर के द्वारा पेश बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 08.08.2022 को नकार दिया गया। तहसीलदार असनावर के कार्यालय द्वारा दिनांक 11.10.2022 को पुनः बंटवारा प्रस्ताव भेजा गया, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी असनावर ने अन्तिम डिक्री जारी की है। जिसमें अपीलान्ट पक्ष को नहीं सुना गया हैं । इस कारण पीड़ित होकर अपीलान्ट निम्नलिखित कारणों से यह अपील न्यायालय हाजा में पेश करते हैं :–

लगातार 3 पर